

डिफ़्टी बमुकदमें ईबादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

व्यायालय सहायक कलाक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरणा संख्या:- 236/2019

1. प्रदीपसिंह पुत्र निर्मलसिंह
 2. कमलदीप सिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह
 3. साहब सिंह पुत्र सन्तोखसिंह
 4. दिलबागसिंह पुत्र विचित्रसिंह
- कौम कम्बोज सिख निवासी 18 जीजीआर
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
वादीगण

बनाम्

1. जीतसिंह पुत्र अर्जनसिंह
 2. जसविन्द्र कौर पत्नी जीतसिंह
 3. निर्मलसिंह
 4. बलविन्द्रसिंह
 5. विचित्रसिंह
 6. सन्तोख सिंह पुत्र अर्जनसिंह
 7. अमनदीप कौर पुत्री बलविन्द्रसिंह
 8. जसप्रीतकौर पुत्री निर्मलसिंह
 9. नरेन्द्र कौर पुत्री सन्तोखसिंह पत्नी तरसेमसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 18 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
 10. मन्दीपकौर पुत्री विचित्रसिंह पत्नी सर्वजीतसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 18 जीजीआर तहसील व जिला श्रीगंगानगर। प्रतिवादीगण
- जाति कम्बोज सिख निवासी 18 जीजीआर
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिफ़्टी दी जाती है कि क. चकनं 3 एसएस डबल्यू के खाता सं 28/27 में कुल 2.783 है 0 मे से वादीसं 1 प्रदीपसिंह को 1.518 है 0 व प्रतिवादीसं 3 निर्मलसिंह को 1.265 है 0, ख. वादीसं 2 कमलदीपसिंह को-चकनं 3 एसएस डबल्यू के खातासं 29/53 में जीतसिंह का .139 है 0 व सन्तोखसिंह का .734 हि 0 तथा जसविन्द्रकौर का 1.695 है 0 मे से .620 है 0, ग. वादीसं 3 साहबसिंह को-चकनं 18 जीजीआर के प 0 न 0 174/289 मु 0 46 किलानं 7,8, प 0 न 0 173/294 मु 0 67 किलानं 16,17,18/.126 दक्षिणी दिशा, चकनं 18 जीजीआर के खाता सं 82/70 में जीतसिंह के नाम से .253 है 0 में से .126 है 0, घ. वादीसं 4 दिलबागसिंह-चकनं 3 एसएस डबल्यू के खाता सं 29/53 में जसविन्द्रकौर का 1.695 है 0 मे से 1.075 है 0 व चकनं 3 एसएस डबल्यू के खातासं 30/28 में कुल .379 है 0, ङ. प्रतिवादीसं 3 निर्मलसिंह को-चकनं 18 जीजीआर के प 0 न 0 173/294 मु 0 67 किलानं 18/.127 उत्तरी दिशा, चकनं 18 जीजीआर के खाता सं 94/31 में जीतसिंह के नाम से .506 है 0 मे से .253 हिस्सा, चकनं 18 जीजीआर के खाता सं 82/70 में जीतसिंह के नाम से .253 है 0 में से .063 है 0, च. प्रतिवादीसं 4 बलविन्द्रसिंह-चकनं 18 जीजीआर के प 0 न 0 175/289 मु 0 45 किलानं 7 ता 10, प 0 न 0 173/294 मु 0 67 किला नं 0


सहायक पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

13. चकनं० 18 जीजीआर के प०न० 174/289 मु० 46 किलानं० 14/.051, छ.प्रतिवादीसं० 5 विचित्रसिंह को- चकनं० 18 जीजीआर के खाता सं० 40/36 प०न० 175/289 मु० 45 किलानं० 1 ता 4, प०न० 174/289 मु० 46 किलानं० 6, चकनं० 18 जीजीआर के खाता सं० 94/31 में जीतसिंह के नाम से .506 है० में से .253 हि० तथा चकन० 18 जीजीआर के खाता सं० 82/70 में कुल .759 है० में से जीतसिंह के नाम की .064 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसके अलावा चकनं० 18 जीजीआर के प०न० 174/289 मु० 46 किलानं० 6 में 8½ फुट चौड़ा रास्ता पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा में व किलानं० 15 में 8½ फुट चौड़ा उतर से दक्षिण, पश्चिमी दिशा की तरफ तथा चकनं० 18 जीजीआर के प०न० 175/289 मु० 45 किलानं० 10 में एक बिश्वा चौड़ा रास्ता उतर से दक्षिण, पश्चिमी दिशा की तरफ रास्ता स्वीकृत किया जाता है व राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त अनुसार अंकन करने व गै०मु० रास्ता का अंकन करने तथा चकनं० 3 एसएस डबल्यू के खाता सं० 29/53 में से जीतसिंह, सन्तोखसिंह, जसविन्द्रकौर का नाम कलमजन, चकनं० 3 एसएस डबल्यू के खातासं० 30/28 में जीतसिंह का नाम कलमजन, चकनं० 18 जीजीआर के खातासं० 40/36 में जीतसिंह का हिस्सा कम, इसी चक के खातासं० 82/70 में से जीतसिंह का नाम कलमजन, चकनं० 18 जीजीआर के खाता सं० 135/118 में से सन्तोखसिंह का हिस्सा कम, चकनं० 18 जीजीआर के खाता सं० 94/31 में से जीतसिंह का नाम कलमजन, चकनं० 3 एसएस डबल्यू के खाता सं० 28/27 में से जसविन्द्रकौर का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ०५/१०/१९.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी